



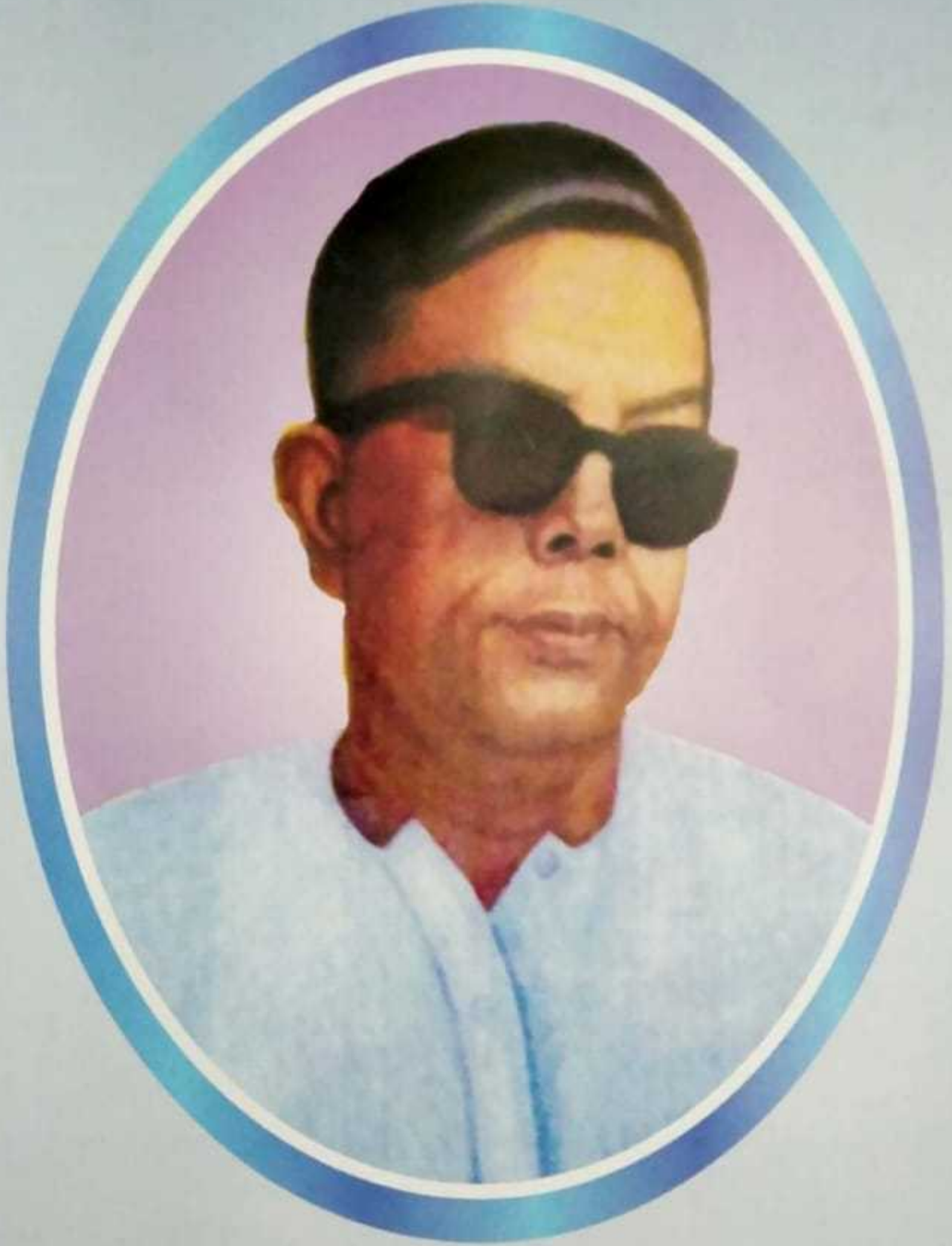
रमेश झा महिला महाविद्यालय

सहरसा-852201

(भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा की अंगीभूत इकाई)



विवरणिका
Prospectus



संस्थापक एवं नामित महापुरुष
स्व० पंडित रमेश झा
पूर्व मंत्री बिहार सरकार



प्रधानाचार्य की कलम से...



शिक्षा से मनुष्य का जीवन विशुद्ध प्रज्ञा सम्पन्न, परिष्कृत, प्रांजल और समुन्नत ही नहीं होता, बल्कि समाज भी सात्विक और नैतिक आदर्शों का पालन करता हुआ सन्मार्ग पर चलकर विकसित होता है। नैतिक मूल्यों से युक्त, उच्च आदर्शों से संवलित और बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास ज्ञान से ही होता है। इसलिए ज्ञान को मनुष्य का तृतीय नेत्र कहा गया है जो उसे सही कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है :

ज्ञानं तृतीय मनुजस्य नेत्रं समस्ततत्त्वार्थं विलोकि दक्षम।

तेजोऽनपेक्षं विगतान्तरायं प्रवृत्तिमत्सर्वजगत्रयेपि॥

ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन और जगत के रहस्यों को जान पाने में असमर्थ होता है, इसलिए कहा गया है विद्या के समान दूसरा कोई नेत्र नहीं-**नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः**

ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु और गुरुकुल की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से गुरु-शिष्य परंपरा चलती आ रही है। आधुनिक समय में विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान हैं और इसमें अध्यापन और शिक्षण द्वारा जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश से अन्तर्चक्षुओं का उद्घाटन करते हैं वही गुरु हैं। अध्यापक के नौ लक्षण माने गए हैं-सुचिर, वाचस्वी, वर्चस्वी, दृष्टिमान, स्मृतिमान, कृति, नम्रता, उत्साही तथा जिज्ञासु। इन गुणों से युक्त शिक्षक छात्रों की प्रतिभा, कौशल और कला को रूपाकार प्रदान कर सकते हैं। उनमें मानवता, सदाशयता, सच्चरित्रता विवेक और बोध क्षमता को संपुष्ट कर सकते हैं। राष्ट्रप्रेम और लोक-कल्याण की भावना प्रस्फुटित कर सकते हैं।

वर्तमान समय छात्राओं के लिए सतत् परिश्रम, दृढ़-संकल्प, लक्ष्य सिद्धि की निष्ठा एवं समाज तथा राष्ट्र के प्रति दायित्व बोध का है। वैज्ञानिक प्रगति एवं वैश्विक विकास के साथ-साथ अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा के युग में छात्राओं को अपनी क्षमता तथा प्रखरता को निखारना आवश्यक है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र-ज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, प्रशासन, सुरक्षा, सैन्य बल, कला, संगीत, लेखन-शिक्षण, खेल-कूद और राजनीति-में महिलाएँ पुरुषों के समकक्ष और कई मायनों में आगे हैं। छात्राओं को अपना लक्ष्य और उद्देश्य-दोनों निश्चित कर मार्ग के व्यवधानों को अलक्षित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि वे सही अर्थों में ज्ञान प्राप्त करें अपने शिक्षकों को सम्मान देते हुए विनम्रता से शिक्षा प्राप्त करें तथा भविष्य में उसका उपयोग अपने साथ-साथ समाज और राष्ट्र तथा सम्पूर्ण मानवता के लिए करें :

सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

डॉ. रेणु सिंह

प्रधानाचार्या

(रमेश झा महिला महाविद्यालय)



ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं वर्तमान

छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिये एक आदर्श शिक्षण संस्थान है।

इस महाविद्यालय की स्थापना 01 फरवरी 1972 ई० को कोशी के सपूत एवं महान स्वतंत्रता सेनानी स्व० रमेश झा के द्वारा की गई थी। सन् 1973 ई० में इस महाविद्यालय को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संबन्धन प्राप्त हुआ तथा 1980 ई० में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत ईकाई होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1992 ई० में भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद यह महाविद्यालय उक्त विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण अंगीभूत इकाई के रूप में कार्यरत है।

आज की तारीख में भी कोशी कमिशनरी/प्रमंडल का गौरव, यह महाविद्यालय इस कमिशनरी/प्रमंडल का एक मात्र अंगीभूत महिला महाविद्यालय है।

इस महाविद्यालय का सौभाग्य रहा है कि इसे आरंभ से ही कर्मठ प्रधानाचार्य, विद्वान शिक्षक समुदाय एवं क्षमतावान कर्मचारीगण मिले जिनके कठोर परिश्रम तथा स्वस्थ विचार की ऊर्जा से यह प्रतिष्ठान उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर रहा।

छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिये यहाँ उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। दलित एवं कमजोर छात्राओं के लिये इस महाविद्यालय में रीमेडियल कोचिंग की व्यवस्था है। तकनीकी शिक्षा के लिये कम्प्यूटर कोर्स में स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है।

सुदूरवर्ती क्षेत्रों जैसे गाँव देहात में रहने वाली महिलाओं, नौकरीपेशा महिलाओं, गृहणियों एवं महाविद्यालय में पढ़नेवाली छात्राओं के लिये रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के लिये महाविद्यालय में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के विशेष अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई है।

जागरण पहल की ओर से मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना के तहत इस महाविद्यालय को नोडल केन्द्र बनाया गया है।

छात्राओं को उत्कृष्ट साहित्य एवं पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिये समृद्ध एवं सम्पन्न पुस्तकालय है। छात्राओं में पढ़ने की आदत तथा ज्ञान के विस्तार के लिये पुस्तकालय-प्रयोग को प्रेरित किया जाता है।

विज्ञान विषयों की छात्राओं के लिये आधुनिक तकनीक एवं उपकरण से सुसज्जित भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं कम्प्यूटर की प्रयोगशालायें हैं। यहाँ की कई मेधावी छात्रायें इंजीनियर, मेडिकल एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर उच्च पदों पर आसीन हैं।

इस महाविद्यालय की धरती को अपने आगमन से पवित्र करने वालों में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ० रामराज सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री डी०पी० यादव, पूर्व राज्यपाल महामहिम डॉ० ए० आर० किदवाई, पूर्व मंत्री लहटन चौधरी, चौधरी मुहम्मद सलाउद्दीन, पूर्व मुख्यमंत्री कंदार पाण्डेय, डॉ० जगन्नाथ मिश्र एवं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री एवं लौह महिला स्व० इंदिरा गाँधी का नाम उल्लेखनीय है।

01 फरवरी 1972 को जिस वृक्ष का बीजारोपण हुआ वह आज मात्र लगभग चालीस वर्षों की उम्र में विशालकाय बन चुका है। इसकी हजारों शाखाएँ पुष्पित-पल्लवित हैं और इसके हर-भरे पत्तों पर रंग-बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। इस वृक्ष की जड़ों को अपने खून-पसीने से सींचने वाले युगपुरुष स्व० रमेश झा आज इस दुनिया में नहीं हैं किन्तु उनकी प्रेरणा सतत् हमारे साथ हैं। उन्हें हमारा शत-शत नमन है:-



दृष्टि (Vision)

- छात्राओं की आवश्यकताओं को पठन-पाठन केन्द्र में रखना।
- छात्राओं को अद्यतन ज्ञान एवं सूचना विभिन्न यांत्रिक संसाधनों द्वारा उपलब्ध कराना।
- सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु छात्राओं में सामाजिक मूल्यों का समुचित विकास विभिन्न सामुदायिक क्रियाकलापों द्वारा करना।
- सांस्कृतिक संरक्षण हेतु छात्राओं में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन मूल्यों का विकास करना।
- समकालीन वैश्विक आर्थिक परिवेश में आवश्यकतानुसार व्यवसायिक योग्यता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संवेदना विकसित करने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उत्सवों एवं कार्यक्रमों के द्वारा छात्राओं को निर्देशित करना।

ध्येय (Mission)

- छात्राओं में नैतिक मूल्यों एवं संवेदना का विकास करना।
- छात्राओं को मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा।
- छात्राओं को व्यवसायिक अवसर हेतु उच्च शिक्षा सुगम बनाना।
- विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की छात्राओं को प्रवलन।
- अत्याधुनिक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अपनाने हुये विभिन्न भौतिक संसाधनों जैसे-अन्तर्जाल (Internet) प्रक्षेपक (Projector) एवं प्रयोगशालाओं (Labs) आदि का समुचित प्रयोग।
- छात्राओं में नेतृत्व विकास हेतु छात्र संघ चुनाव।
- छात्राओं के समन्वित व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान।
- दिव्यांग छात्राओं पर अतिरिक्त ध्यान।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

- (क) महाविद्यालय के किसी वर्ग में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को कार्यालय में उपलब्ध आवेदन-पत्र को निर्दिष्ट रूप से भरकर यथासमय कार्यालय में जमा करना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निर्देशिका की एक प्रति भी लेना आवश्यक है, जिससे महाविद्यालय सम्बन्धी नियमों की सम्पूर्ण जानकारी अभ्यर्थी को प्राप्त हो सकेगी।
- (ख) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित / फोटो प्रतियाँ आवश्यक रूप से संलग्न

की जाएँ। चयन के पश्चात् नामांकन के लिए निर्धारित तिथि को प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

1. स्कूल अथवा कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र (School or College Leaving Certificate)
2. अंक पत्र (Mark Sheet)
3. पिछली बोर्ड या विश्वविद्यालय परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card)



4. पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति (S.C.) एवं अनुसूचित जनजाति (S.T.) के लिए जाति प्रमाण पत्र
5. चरित्र प्रमाण-पत्र (Character Certificate)
6. पासपोर्ट आकार के दो नये फोटो

(ग) महाविद्यालय के विभिन्न वर्गों में प्रवेश के लिए स्थानों की संख्या निर्धारित है। अतः चयन, अंकों के आधार पर ही किया जाता है। चयनित प्रवेशार्थियों की तालिका (Selection List) महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर प्रकाशित की जाती है। ऐसे प्रवेशार्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश (नामांकन) प्राप्त कर लें।

द्रष्टव्य : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेशार्थ आरक्षण का लाभ सरकारी नियमानुसार दिया जायेगा।

(घ) प्रवेश के लिए विहित आवेदन-पत्र सहित निर्देशिका को डाक द्वारा निर्धारित शुल्क देकर भी प्राप्त की जा सकती है। चयन की सूचना डाक द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य के नाम प्रेषित पत्र के साथ निर्धारित डाक टिकट लगा लिफाफा जिस पर अपना पता सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, संलग्न करना होगा।

(ङ) नामांकन (Admission) के समय ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अथवा विश्वविद्यालय में क्रमशः सूचीकरण (Enlistment) या पंजीयन (Registration) के लिए विहित आवेदन पत्र भरकर निर्धारित शुल्क के साथ कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करना होगा। दूसरे विश्वविद्यालय से नामांकन कराने आये छात्रा को पंजीयन के निमित्त पूर्व विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) प्रत्येक नामांकित छात्रा के लिए महाविद्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र (Identity Card) अपने पास रखना आवश्यक होगा। प्रवेश के लिए मनोनीत प्रभारी प्राध्यापक की उपस्थिति में ही छात्रा को अपने

छात्रा-चित्र पर स्पष्ट अक्षरों में अपने हस्ताक्षर एवं अपेक्षित विवरण स्वयं भरने होंगे जिनका सत्यापन संबंधित प्रभारी प्राध्यापक / प्रधानाचार्य करेंगे। सम्बद्ध सहायक द्वारा मुहर ले लेना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए पहचान-पत्र अत्यंत उपादेय है। पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्ति, एन०सी०सी० में चयन एवं यूनीफार्म की प्राप्ति, महाविद्यालय पत्रिका की प्राप्ति, मनोरंजन-कक्ष (Common Room) से खेल सामग्रियों की प्राप्ति, महाविद्यालय कार्यालय एवं बैंक से स्कॉलरशिप, स्टाइपेण्ड या अन्य किसी भुगतान की प्राप्ति, रेलवे एवं सिनेमा घरों से रियायती दरों पर टिकट की प्राप्ति, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के उत्सवों में प्रवेश और महाविद्यालय काउन्सिल एवं विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए पहचान-पत्र दिखाना आवश्यक है।

(छ) छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट किये गये अभिभावक का पता (Address) बदल जाने की स्थिति में परिवर्तन की सूचना अविलम्ब महाविद्यालय कार्यालय को देनी चाहिए।

(ज) आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विषय-समूह का चयन अन्तिम रूप से कर लिया जाना चाहिए। बाद में विषय परिवर्तन से पाठ्य-क्रम एवं उपस्थिति का प्रतिशत पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। इण्टरमीडिएट कक्षाओं में केवल प्रथम वर्ष एवं त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्य-क्रम के प्रथम खण्ड में प्रारंभ के छः माह तक ही विषय-परिवर्तन की अनुमति विहित प्रक्रिया द्वारा दी जा सकती है।

अनुशासन :

सभी छात्राओं को अनुशासन के नियमों का पालन करना होगा-

1. छात्राओं से अपेक्षित है कि वे व्याख्यानों एवं अभ्यास की कक्षाओं में समयनिष्ठ रहें।
2. नामांकन के समय छात्रा की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. छात्राएँ अपना खाली समय या तो पुस्तकालय में



अध्ययन में व्यतीत करेंगी अथवा कॉमन-रूम में मनोरंजन भी कर सकती हैं।

4. कोई भी छात्रा प्राचार्य की अनुमति के बिना महाविद्यालय के अहाते के बाहर नहीं जायेंगी। सिर्फ व्याख्यान तथा कक्षाएँ समाप्त होने पर वे घर जा सकती हैं।
5. महाविद्यालय में कोई भी बैठक (Meeting) प्राचार्य के अनुमति के बिना नहीं होगी और न ही प्राचार्य की अनुशंसा के अभाव में किसी प्रकार की गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
6. प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का चन्दा-सहयोग अवांछनीय होगी।

छात्रावास के नियम

छात्रावास में प्रवेश चाहने वाली छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से प्रधानाचार्य के यहाँ आवेदन करना चाहिए। छात्रावास में रहने के लिए छात्रावास के नियमों को मानना होगा छात्रावास के नियम की प्रति छात्रावास अधीक्षक से प्राप्त की जा सकती है।

पुस्तकालय

- (i) पुस्तकालय सामान्यतया प्रत्येक कार्य-दिवस को प्रधानाचार्य द्वारा निर्देशित कार्य-काल में खुला रहता है।
- (ii) महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र/छात्रा ही पुस्तकालय की सदस्यता के अधिकारी हैं।
- (iii) पुस्तकों के निर्गम की सीमा निर्धारित है :-
 - (A) शिक्षकों के लिए - एक माह।
 - (B) शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए - एक सप्ताह
 - (C) छात्राओं के लिए - पन्द्रह दिन।
- (iv) छात्राओं को एक बार में अधिकतम दो पुस्तकें निर्गत की जाएँगी। इच्छित पुस्तक उसकी उपलब्धता पर निर्भर करेगी। स्कंध पंजी के आधार पर मांगी गयी पुस्तक निर्गत की जाती है।
- (v) निर्धारित तिथि के पश्चात् लौटाने पर प्रति पुस्तक रु.1 प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड शुल्क जमा करना

होगा।

- (vi) किसी पुस्तक के खोने की स्थिति में उस पुस्तक को नयी प्रति खरीद कर देनी होगी या पुस्तक का ढाई गुणा मूल्य जमा करना होगा। पुस्तक को क्षतिग्रस्त करने पर नयी पुस्तक देनी होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्र पुस्तक निर्गत कराने के समय उसकी वर्तमान स्थिति की ओर पुस्तकाध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करें।
- (vii) अपना परिचय-पत्र दिखाकर छात्रा पुस्तकालय-पत्रक (Library Card) प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय-पत्रक खो जाने की स्थिति में द्वितीयक पुस्तकालय पत्रक (Duplicate) प्राप्त करने के लिए पाँच रुपये शुल्क के साथ प्रधानाचार्य को आवेदन देना होगा।
- (viii) पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्रा को पुस्तकालय पत्रक के साथ अपना परिचय पत्र भी लाना आवश्यक होगा।
- (ix) कोई भी सन्दर्भ ग्रंथ (Reference Book) निर्गत नहीं किया जायेगा।
- (x) पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकें किसी दूसरे को हस्तांतरित करना वर्जित है।
- (xi) पुस्तकों के पृष्ठों को मोड़ना, उन पर किसी प्रकार का निशान लगाना और कहीं भी कुछ लिखना या पृष्ठों को फाड़ना निषिद्ध है।
- (xii) पुस्तकालय में प्रवेश के पूर्व वैग, छाता या निजी पुस्तकें आदि प्रवेश द्वार पर जमा करना आवश्यक है।
- (xiii) वाचनालय (Reading Room) में अध्ययनार्थ ली गयी पुस्तकें, पत्र-पत्रिका आदि उसी दिन वाचनालय बन्द होने के पूर्व जमा करना आवश्यक है।
- (xiv) परिषद् / विश्वविद्यालय परीक्षा प्रपत्र भरने तथा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C) लेने के पूर्व सभी निर्गमित पुस्तकें वापस करना एवं 'कुछ देय नहीं' (No Dues Certificate) लिखा लेना आवश्यक है।
- (xv) पुस्तकालय में शान्ति एवं अनुशासन रखना आवश्यक है।



नियम भंग करने वाले छात्र / छात्राओं को पुस्तकालय के उपयोग की सुविधा से वंचित किया जा सकता है।

(xvi) छात्रा पुस्तकालय से संबंधित कोई शिकायत / सुझाव प्रभारी प्राध्यापक / प्रधानाचार्य के समक्ष लिखित या मौखिक रख सकते हैं।

(xvii) महाविद्यालय में पुस्तक अधिकांश (Book-Bank) की स्थापना का प्रस्ताव है। इसकी स्थापना होने पर छात्रों को एक सत्र के लिए कुछ पुस्तकें ऋण स्वरूप दी जाएगी।

परीक्षा विभाग (Examination Cell)

महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित परीक्षाओं (Terminals) के अतिरिक्त परिषद् / विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएँ परीक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

परिषद् / विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में यदि अन्य महाविद्यालयों का भी केंद्र इस महाविद्यालय में होता है तो संबंधित महाविद्यालय के छात्रों को भी अपेक्षित जानकारी, परीक्षा विभाग देता है। 75% व्याख्यान (Lectures) एवं अनुशीलन वर्गों (Tutorials) को पूरा करने पर ही सामान्यतया छात्रों को परिषद् / विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

परिषद् / विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रपत्र भरने के समय पुस्तकालय, संबंधित प्रयोगशालाओं, एन०सी०सी०, खेल-कूद प्रभारी (पी० टी० आई०) आदि से प्राप्त

No Dues

Certificate प्रस्तुत करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एन.सी.सी.)

छात्रों को प्रारंभिक सैन्य शिक्षा प्रदान करने एवं उनके आत्म-निर्भरता, स्वानुशासन, सहयोग एवं नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के साथ ही देश-भक्ति एवं राष्ट्रीयता के गुणों को जागृत करने के उद्देश्य से नेशनल कैंडेट कोर (एन० सी० सी०) का गठन किया गया है।

महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा हेतु राष्ट्रीय कैंडेट कोर की एक कम्पनी कार्यरत है। महाविद्यालय की छात्राएँ इस

कम्पनी में अपना नामांकन करवा सकते हैं। एन० सी० सी० में नामांकन के लिए छात्राओं को महाविद्यालय की एन.सी.सी. अधिकारी श्रीमति शान्ति झा से सम्पर्क करना चाहिए। एन० सी० सी० के माध्यम से कैंडेटों को तीन वर्षों तक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। दो वर्षों के प्रशिक्षण के उपरान्त 'B' प्रमाण-पत्र तथा तीन वर्षों के बाद 'C' प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। इसके लिए कैंडेटों को विभिन्न तरह के कैम्पों में सम्मिलित होना पड़ता है। एन० सी० सी० के 'B' तथा 'C' प्रमाण-पत्र के बाद प्रमाण-पत्र धारियों को विभिन्न सेवाओं में नौकरियों के लिए विशेष सुविधा दी जाती है। अभी सेना में 'C' प्रमाण-पत्र धारियों को स्नातक में 50% अंक लाने पर C.D.A. में लिखित परीक्षा से छूट दी जाती है तथा सैनिकों की भर्ती में भी छूट दी जाती है।

ज्ञातव्य बातें:

- (क) एन० एस० एस० में एक युनिट में केवल 50 छात्राओं का ही नामांकन किया जायेगा।
- (ख) एन० एस० एस० में नामांकित छात्रा को दो सत्रों तक रहना होगा। एक सत्र की अवधि में उन्हें 120 घंटे इसके कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- (ग) प्रत्येक वर्ष छात्रा के लिए छुट्टियों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- (घ) छात्राओं को उनके सेवा कार्यों के लिए प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।

पाठ्यक्रम:

इस महाविद्यालय में कला एवं विज्ञान संकाय में निम्न विषयों की प्रतिष्ठा स्तर तक पढ़ाई होती है।

कला संकाय-हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र।

विज्ञान संकाय - भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, जन्तुशास्त्र, गणित।

स्ववित् पोषित पाठ्यक्रम - बी०एड०, बी०सी०ए०



इन्टरमीडीएट पाठ्यक्रम

आई०ए०, आई०एस-सी०

आई०ए०

अनिवार्य विषय

भाषा एवं साहित्य-100 अंक हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली। किसी एक भाषा का अध्ययन अपेक्षित है।
एन०आर०बी० हिन्दी-50 अंक + एम०बी०-50 अंक मैथिली, उर्दू, अंग्रेजी

वैकल्पिक विषय -

निम्न से तीन वैकल्पिक विषय नियमानुसार

इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र प्रत्येक वैकल्पिक विषय 100 अंक का होगा।

आई०एस०सी०

अनिवार्य विषय

भाषा एवं साहित्य-100 अंक (हिन्दी), अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली। किसी एक भाषा का अध्ययन अपेक्षित है।
एन०आर०बी० हिन्दी-50 अंक + एम०बी०-50 अंक (मैथिली), उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी

वैकल्पिक विषय -

निम्न से तीन वैकल्पिक विषय नियमानुसार

गणित, रसायन शास्त्र जीव विज्ञान तथा भौतिकी विज्ञान।

प्रत्येक वैकल्पिक विषय 100 अंक का होगा।

इन्टरमीडियट पाठ्यक्रम की संरचना :

विषय का नाम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
राष्ट्रभाषा हिन्दी	50 अंक	50 अंक
मातृभाषा	50 अंक	50 अंक
भाषा एवं साहित्य	100 अंक	100 अंक
तीन वैकल्पिक विषय	300 अंक	300 अंक
योगफल	500 अंक	500 अंक



स्नातक कला/विज्ञान, प्रतिष्ठा/सामान्य

(त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम)

B.A., B.Sc., BCA, B.Ed.

पाठ्यक्रम की अवधि :

1. स्नातक कला/विज्ञान प्रतिष्ठा एवं सामान्य कोटि का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होगा तथा विद्योपार्जन के प्रथम वर्ष को स्नातक (प्रतिष्ठा) का प्रथम खण्ड, द्वितीय वर्ष को स्नातक कला/विज्ञान (प्रतिष्ठा) का द्वितीय खण्ड तथा तृतीय वर्ष को स्नातक कला/(प्रतिष्ठा) तृतीय खण्ड के नाम से जाना जायेगा। सामान्य पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होगा जिसमें प्रत्येक वर्ष चार विषयों की परीक्षा होगी।

त्रिवर्षीय स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम की संरचना :

पाठ्यक्रम	प्रथम खण्ड	द्वितीय खण्ड	तृतीय खण्ड	योग
एक प्रतिष्ठा विषय	200 अंक	200 अंक	400 अंक	800 अंक
दो अनुषंगिक विषय	200 अंक	200 अंक	-	400 अंक
राष्ट्रभाषा	100 अंक	100 अंक	-	200 अंक
सामान्य अध्ययन	-	-	100 अंक	100 अंक
योगफल	500 अंक	500 अंक	500 अंक	1500 अंक

प्रवेश के लिए योग्यता :

2. यदि अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा इण्टरमीडियट परीक्षा में या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुए हो तभी स्नातक कला/विज्ञान (प्रतिष्ठा) में दाखिला मिल सकता है। किसी भी विषय के प्रतिष्ठा (Hons.) पाठ्यक्रम में नामांकन प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि उस विषय में इण्टरमीडियट स्तर पर परीक्षा में कम-से-कम 45% अंक प्राप्त हुए हों।

पुनः यदि किसी अभ्यर्थी ने इण्टरमीडियट के स्तर पर विज्ञान में 45% सम्पूर्णांक के साथ सफलता प्राप्त की है, तो वह स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम (कला) के किसी भी विषय में दाखिले के योग्य हैं, भले ही उसने उस विषय में इण्टरमीडियट स्तर पर अध्ययन न किया हो। परंतु स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम 'विज्ञान' में प्रवेश हेतु सिर्फ वही अभ्यर्थी योग्य हैं जिन्होंने इण्टर स्तर पर विज्ञान विषय का अध्ययन किया हो किन्तु कला संकाय में नामांकन की स्थिति में उन्हें कोई भी प्रायोगिक विषय रखने की अनुमति नहीं होगी।

Bachelor of Arts (B.A.) Honours :

- (a) स्नातक कला प्रतिष्ठा के लिए प्रस्तुत परीक्षार्थी को निम्नांकित विषयों में किसी एक विषय में प्रतिष्ठा का चुनाव करना होगा तथा अनुसंगिक विषयों का चुनाव करना होगा।



संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, इतिहास।

अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, संगीत, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र।

यदि कोई अभ्यर्थी भाषा एवं साहित्य में से ही किसी एक विषय में प्रतिष्ठा का चयन करते हैं तो उस स्थिति में उसे एक से अधिक भाषा का सहायक विषय के रूप में चयन करने का अधिकार नहीं होगा।

Bachelor of Science (B.Sc.) Honours

(इ) स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा के लिए प्रस्तुत परीक्षार्थी को निम्नांकित विषय समूहों में से किसी एक में प्रतिष्ठा तथा दो सहायक विषयों का चुनाव करना होगा-

प्रतिष्ठा विषय	सहायक विषय	सहायक विषय
भौतिक शास्त्र	गणित	रसायन शास्त्र
रसायन शास्त्र	गणित	भौतिक शास्त्र
प्राणि विज्ञान	वनस्पति विज्ञान	रसायन शास्त्र
वनस्पति विज्ञान	प्राणि विज्ञान	रसायन शास्त्र
गणित	भौतिक शास्त्र	रसायन शास्त्र

जिस विषय में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है:

- सहायक विषयों में से प्रत्येक पत्र 75 अंक के होंगे तथा 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी।
- प्रतिष्ठा विषयों में से :
 - पत्र-I तथा पत्र-II में से प्रत्येक 75 अंक के होंगे तथा प्रायोगिक परीक्षा 50 अंक के होंगे। (प्रथम वर्ष)
 - पत्र-III तथा पत्र-IV में से प्रत्येक 75 अंक के होंगे तथा प्रायोगिक परीक्षा 50 अंक के होंगे। (द्वितीय वर्ष)
 - पत्र-V, VI तथा VII में प्रत्येक 100 अंक का पूर्णतया सैद्धान्तिक होगा, तथा पत्र VIII में 100 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी।

3. संगीत (प्रतिष्ठा) विषय में:

- प्रथम वर्ष में 100 अंक का सैद्धान्तिक एवं 100 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी।
- द्वितीय वर्ष में भी 100 अंक का सैद्धान्तिक एवं 100 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी।
- तृतीय वर्ष में 200 अंक का सैद्धान्तिक एवं 200 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी।

शुल्क :-

शुल्क दाखिले के समय तथा प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में अदा करने होंगे।



शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ० बशीकान्त चौधरी
2. प्रो० रमेश चन्द्र झा

उर्दू विभाग

1. डॉ० फसीउद्दीन अहमद

संस्कृत विभाग

1. प्रो० शारदा मिश्र

हिन्दी विभाग

1. श्री जे० के० पी० यादव

मैथिली विभाग

1. डॉ० संजय कुमार मिश्र
2. डॉ० कृष्ण मोहन ठाकुर
3. डॉ० अभय कुमार

इतिहास विभाग

1. डॉ० विनोद कुमार झा
2. डॉ० अंजना पाठक

समाजशास्त्र विभाग

1. डॉ० अनिल कुमार
2. डॉ० राणा सुनील कुमार सिंह (प्रतिनियुक्त)

गृह विज्ञान विभाग

1. डॉ० रीना सिंह

संगीत विभाग

1. डॉ० गिरिधर कुमार श्रीवास्तव (तबला वादक)

राजनीति विज्ञान विभाग

1. डॉ० कल्पना मिश्र

मनोविज्ञान विभाग

1. श्री प्रदीप कुमार झा
2. डॉ० संगीता सिन्हा

अर्थशास्त्र विभाग

1. सुश्री प्रीति गुप्ता

गणित विभाग

1. डॉ० नरेश कु० सिंह (प्रतिनियुक्त)

भौतिकी विभाग

1. डॉ० ए० के० ठाकुर
2. डॉ० अनिल कुमार

रसायन विभाग

1. डॉ० रतन कुमार मल्लिक
2. श्री एन० के० पाण्डेय

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ० सुर्यमणि कुमार

जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ० मनोज नारायण भगत

दर्शनशास्त्र विभाग

1. डॉ० प्रत्यक्षा राज
2. सुश्री पूजा कुमारी

प्रयोगशाला सहायक

1. श्रीमती शान्ति कुमारी (जन्तु विज्ञान विभाग)

शिक्षकेत्तर कर्मचारी

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. श्री सुभाषचन्द्र मिश्र | - प्रधान सहायक |
| 2. श्री प्रदीप कुमार झा | - भंडारपाल |
| 3. श्रीमती संयुक्ता राय | - सहायक |
| 4. श्रीमती अर्चना कुमारी | - सहायक |
| 5. श्री विजय कुमार सिंह | - प्रतिनियोजित |
| 6. श्री प्रकाश कुमार झा | - सहायक |
| 7. श्री हरिनन्दन कुमार | - सहायक |

पुस्तकालय

1. श्री नवल कुमार झा-सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

चतुर्थवर्गीय कर्मचारी

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. श्रीमती सुलोचना देवी | - आदेशपाल |
| 2. श्री सुरेन्द्र झा | - आदेशपाल |
| 3. श्री विजय कुमार झा | - आदेशपाल |
| 4. श्री राजेन्द्र कुमार | - आदेशपाल |
| 5. श्री मोहन झा | - आदेशपाल |
| 6. श्री महेश कुमार | - आदेशपाल |



महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ

1. विकास समिति

1. प्रधानाचार्या
2. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
3. विश्वविद्यालय अभियन्ता
4. डॉ० विनोद कुमार झा
5. श्री प्रदीप कुमार झा (बर्सर)

2. हॉस्टल समिति :

1. डॉ० अञ्जना पाठक-इतिहास विभाग
2. डॉ. रीना सिंह-गृह विज्ञान विभाग
3. डॉ. संगीता सिन्हा-मनोविज्ञान विभाग
4. श्रीमती शान्ति झा-प्रयोगशाला सहायक
5. मीनाक्षी आनंद-छात्रा, B.A. II
6. प्रिया राज-छात्रा, B.A. I

3. अनुशासन समिति

1. प्रधानाचार्य (अध्यक्ष)
2. डॉ० विनोद कुमार झा (इतिहास)
3. श्री निलेन्द्र कुमार पाण्डेय (रसायन विज्ञान)
4. डॉ० प्रत्यक्षा राज (दर्शनशास्त्र)

4. IQA Cell

1. डॉ० सूर्यमणि कुमार-वनस्पति शास्त्र, संयोजक
2. डॉ० विनोद कुमार झा-इतिहास
3. डॉ० अखिलेश कुमार ठाकुर-भौतिकी
4. डॉ० अनिल कुमार - समाज शास्त्र
5. सुश्री प्रीति गुप्ता-अर्थशास्त्र
6. श्री नवल कुमार झा - स० पुस्तकालयाध्यक्ष
7. डॉ० अबुल कलाम, हड्डी रोग विशेषज्ञ
8. श्री नीतेश कुमार, प्रो० रोहित होण्डा

5. एन्टी रैगिंग सेल

1. डॉ० कल्पना मिश्रा - राजनीति विज्ञान विभाग
2. प्रो० शारदा मिश्रा - संस्कृत विभाग

6. Women Harassment Cell

1. डॉ० अञ्जना पाठक-इतिहास विभाग
2. डॉ० संगीता सिन्हा-मनोविज्ञान विभाग

7. पुस्तकालय समिति

1. डॉ० राणा सुनील कुमार सिंह-समाजशास्त्र विभाग
2. डॉ० अखिलेश कुमार ठाकुर-भौतिकी विभाग
3. डॉ० प्रत्यक्षा राज-दर्शन शास्त्र विभाग

8. शिकायत निवारण समिति

1. डॉ० अञ्जना पाठक - इतिहास
2. श्री जयकृष्ण प्रसाद यादव - हिन्दी

9. विद्वत् परिषद्

1. डॉ० विनोद कुमार झा (संयोजक)
2. सुश्री प्रीति गुप्ता
3. डॉ० वशीकान्त चौधरी
4. डॉ० शारदा मिश्रा
5. डॉ० फशीउद्दीन अहमद
6. डॉ० राणा सुनील कुमार सिंह
7. डॉ० कृष्ण मोहन ठाकुर
8. डॉ० रतन कुमार मलिक
9. श्री जयकृष्ण प्रसाद यादव
10. डॉ० मनोज नारायण भगत
11. श्री प्रदीप कुमार झा
12. डॉ० रीना सिंह
13. डॉ० सूर्यमणि कुमार
14. डॉ० अखिलेश कुमार ठाकुर
15. डॉ० नरेश कुमार सिंह

10. परीक्षा समिति

1. डॉ० नरेश कुमार सिंह - परीक्षा नियंत्रक
2. डॉ० अनिल कुमार - सहायक परीक्षा नियंत्रक
3. श्री हरीनन्दन कुमार - सहायक (परीक्षा)



11. क्रय समिति

1. प्रधानाचार्य
2. डॉ० विनोद कुमार झा
3. श्री प्रदीप कुमार झा (बर्सर)
4. डॉ० अनिल कुमार (भौतिकी)

12. नैक समिति

1. डॉ० सूर्यमणि कुमार, विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र विभाग, समन्वयक
2. डॉ० विनोद कुमार झा
विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग,
3. श्री प्रदीप कुमार झा
विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग
4. डॉ० अनिल कुमार
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
5. सुश्री प्रीति गुप्ता
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

13. प्लानिंग बोर्ड

1. प्रधानाचार्य (अध्यक्ष)
2. डॉ० सूर्यमणि कुमार-समन्वयक IQA Cell
3. डॉ० विनोद कुमार झा - इतिहास
4. डॉ० वशीकान्त चौधरी - अंग्रेजी
5. श्री प्रदीप कुमार झा - बर्सर
6. श्री नवल कुमार झा - पुस्तकालयाध्यक्ष

14. परिसंपदा संरक्षण समिति

1. डॉ० नरेश कुमार, गणित
2. डॉ० अनिल कुमार, भौतिकी
3. श्री प्रदीप कुमार झा, बर्सर
4. श्री नवल कुमार झा, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
5. श्री विजय कुमार झा, चतुर्थ वर्गीय, सहायक

15. कला एवं संस्कृति परिषद्

1. डॉ० वशीकान्त चौधरी
2. प्रो० शारदा मिश्र
3. डॉ० अंजना पाठक

4. डॉ० प्रत्यक्षा राज

5. डॉ० गिरिधर कुमार श्रीवास्तव

16. समग्र सारणी

1. डॉ० ए० के० ठाकुर (भौतिकी)
2. डॉ० सूर्यमणि कुमार (वनस्पति विज्ञान)

17. क्रीड़ा समिति

1. डॉ० अंजना पाठक
क्रीड़ा पदाधिकारी
2. डॉ० अखिलेश कुमार ठाकुर
विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग
3. डॉ० सूर्यमणि कुमार
विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग
4. डॉ० अभय कुमार-मैथिली विभाग
5. श्रीमती सविता कुमारी-शिक्षा संकाय
6. सुश्री पूजा कुमारी-दर्शनशास्त्र विभाग
7. सुश्री पुष्पम कुमारी-छात्रा, स्नातक,
द्वितीय खंड

18. गवेषणा परिषद् :

1. डॉ० विनोद कुमार झा, विभागाध्यक्ष, इतिहास
2. डॉ० रीना सिंह-विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान
3. डॉ० फशीउद्दीन अहमद-विभागाध्यक्ष, उर्दू
4. डॉ० अखिलेश कुमार ठाकुर
विभागाध्यक्ष, भौतिकी
5. डॉ० नरेश कुमार सिंह-विभागाध्यक्ष, गणित
6. डॉ० सूर्यमणि कुमार
विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान
7. डॉ० राणा सुनील कुमार सिंह-समाज शास्त्र
8. श्री प्रदीप कुमार झा-विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान

19. लोक सूचना पदाधिकारी :

1. डॉ० अनिल कुमार
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

20. नोडल पदाधिकारी

1. डॉ० अनिल कुमार
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र





RAMESH JHA MAHILA COLLEGE

SAHARSA-852201

Ph. : 06478-223115, e-mail : rjmcoll@gmail.com | rjmcollegebnmu@gmail.com
 website : www.rjmcsaharsa.org

₹ : 150/-